न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(मुरारी लाल शर्मा ,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 05/2016

प्रविष्टि दिनांकः— 13.05.2016

रामजी जोशी पुत्र सीताराम जोशी जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 11 ब्रह्म अखाडा टोडारायसिह जिला टोंक राज0

....अपीलांट

बनाम

1—नगर पालिका टोडारायसिह जरिये अधिशांषी अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
2--चेतन कुमार जैन अधिशाषी अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
3—दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा ब्रह्म अखाडा टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

......रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 327 राज0 नगर पालिका अधिनियम 2009 विरूद्व पत्रावली संख्या 335/2012—13 मे पारित अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अपने आवासीय भवन को राज्य सरकार के परिपत्रो के तहत राज0 स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त फरमा दिया से व्यतित होकर

उपस्थितः (1) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री कैलाश अहूलवालिया, अभिभाषक रेस्पा. संख्या 1 व 2
(3) श्री देवी प्रकाश तिवाडी, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपील का संक्षिप्त मे सार इस प्रकार है कि अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह ने अपीलांट द्वारा स्टेट ग्राट एंक्ट के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 04.01.2016 से अस्वीकार किया गया है। अपीलांट ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब [illegible]

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने जवाब [illegible] कि अपीलार्थी ने गलत रूप से अपील पेश की है। नगर पालिका टोडारायसिंह [illegible] अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनांक 04.01.2016 को सही निर्णय पारित करते हुए [illegible] स्टेट ग्रान्ट एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तहत प्रस्तुत पट्टे के आवेदन को खारिज किया है। क्योकि अपीलार्थी का आवेंदन स्टेट ग्रान्ट के पट्टे की परिभाषा मे नही आता है। अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये आवेदन मे लम्बाई चौडाई व सीमाये की जगह खाली छोडी गई है,जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी चाहे गये पट्टे की नाप–चौप से वाकिफ नही है एंव आवेदन के चरण संख्या 2 मे पत्नि का नाम खाली छोडा गया है,जबकि फोटो मे पत्नि मौजूद है और उसकी फोटो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पास है। स्टेट ग्रान्ट के पट्टे मे राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कागजात अपीलार्थी ने संलग्न नही किये है,इस कारण अपीलार्थी ने अपना आवेदन स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के नियमानुसार नही किया है। अपीलार्थी ने भंवरी देवी के संबंध मे कोई सजरा भी पेश नही किया है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी भंवरी देवी का किस प्रकार से वारिस है।राज्य सरकार द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अनुसार जो पट्टे जारी करने का अभियान चलाया था, वह पात्रता रखने वाले व पुश्तैनी सम्पत्तियो के संबंध मे चलाया था। अपीलार्थी ने रेस्पो. संख्या 2 व 3 को गुमराह कर मात्र पट्टा प्राप्त करने की नियत से उक्त आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है। अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है। खरेडा की मतदाता सूची मे एवं जमाबंदियो मे अपीलार्थी के पिता एंव पूर्वजो का नाम दर्ज है,जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है और भंवरी देवी के जीवनकाल मे कभी भी ग्राम टोडारायसिंह मे नही रहा है और ना ही भंवरी देवी की कोई सेवा की है। भवरी देवी की मृत्यु दिनांक 03.04.1984 के बाद ही अपीलार्थी ने फर्जी वसीयत तैयार की है। भंवरी देवी ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत निष्पादित नही की है। अपीलार्थी ने बाद मे षडयंत्र पूर्वक भंवरी देवी की उक्त सम्पत्ति को हडप करने की नियत से वसीयत तैयार कर उक्त पट्टे का आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है।

प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि राज्य सरकार ने स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 01.01.1965 (सामान्य वर्ग) से पूर्व कच्चा/पक्का निर्माण एवं कब्जे से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे गये थे जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी दिनेश जोशी ने संवत् 2001 जो कि सन् 1944 के बराबर है, में टोडारायसिंह का सिटी सर्वे किया गया की सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी पुत्र श्री रामगोपाल के पिताजी श्री भूरालाल जी वल्द श्री विजय लाल जी के नाम से नगर पालिका टोडारायसिंह के सिटी सर्वे में नाम अंकित है जो आपत्ति के साथ संलग्न है एवं मूल पत्रावली में भी संलग्न था को आधार न मानकर एकमात्र आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा द्वारा वर्ष 1975, 1980 व 1983 की मतदाता सूचियों को ठोस सबूत माना जाकर मनमानी की है जबकि सामान्य अवधारणा यह होती है कि एक व्यक्ति के पास अगर कई जगह या अलग–अलग गॉव में अचल सम्पत्ति होती है तो उसमें से एक ही जगह मतदाता सूची में नाम अंकित किया जाता है अन्य स्थानो पर मतदाता सूचि मे नाम अंकित नही किया जा सकता। इससे यह अवधारित नहीं किया जा सकता है कि वह व्यक्ति दूसरे स्थान पर निवासी नहीं करता है और वह उस सम्पत्ति का मालिकाना अधिकार नहीं रखता हो। प्रार्थी दिनेश [illegible] जोशी के नाम कृषि भूमि ग्राम बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक पर भी अ[illegible] इसका मतलब यह नहीं होता है कि श्री सीताराम जोशी का उ[illegible] भूमि का मालिकाना हक खो दिया है क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में [illegible] खरेडा में ही है। इसलिये उसका वहाँ कोई अधिकार या मालिकाना हक [illegible] इसी प्रकार प्रार्थी दिनेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:31:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

जोशी के पिता सीताराम जोशी के कब्जे की पुश्तैनी भूमि कस्बा टोडारायसिंह नगरपालिका क्षेत्र टोडारायसिंह के ब्रह्म अखाड़ा वार्ड नं. 4 में स्थित है जिसका यह मतलब यह नहीं है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता का यहॉ कोई अधिकार नहीं रहा हो और स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा लिये जाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी के पिता श्री रामगोपाल जोशी एवं उनके भाई ने वर्ष 1947 में उक्त आवासीय मकान में से दो दुकानें जरिये विक्रय पत्र दिनांक 27.05.1947 केता के हक में विक्रय कर उक्त दुकानों का कब्जा सुपुर्द किया एवं उक्त दुकानें वर्तमान में भी उक्त ब्रह्मअखाडे क्षेत्र में अवस्थित है। इससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी के पिता श्री रामगोपाल जोशी का मकान पर कब्जा था। इस तथ्य पर गौर न कर अधिशाषी अधिकारी जिसके विरूद्ध शिकायत की है ने मनमाना आदेश जारी किया जिससे स्पष्ट है कि उसने अपने पद का दुरूपयोग किया। प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी ने प्रार्थी दिनेश जोशी के उक्त आवासीय भवन के दक्षिण की ओर अवस्थित पैतृक सम्पत्ति में से वर्ष 1984 में जरिये इकरारनामा दिनांक 10.06.1984 को ब्राह्मण धर्मशाला एवं गायत्री मंदिर के लिए निःशुल्क दान कर ब्राह्मण को वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया एवं उक्त ब्राह्मण धर्मशाला एवं गायत्री मंदिर वर्तमान में भी अवस्थित है। इस तथ्य पर भी अधिशाषी अधिकारी ने गौर न कर पद का दुरूपयोग किया है। वर्ष 1991 में प्रार्थी दिनेश जोशी ने अपने हिस्से में आयी हुई अपनी उक्त आवासीय सम्पत्ति में 20–एचपी से चलने वाली विद्युत मोटर ऑयल मील लगाने के वास्ते कार्यालय नगर पालिका टोडारायसिंह में एनओसी प्राप्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र एवं मानचित्र/नक्शा प्रस्तुतं किया गया जिसके आधार पर नगर पालिका, टोडारायसिंह कार्यालय द्वारा दिनांक 17.12.1991 को प्रार्थी दिनेश जोशी के हक में एनओसी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रार्थी दिनेश जोशी को उक्त आवासीय भवन अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ है। जिसका नक्शा पूर्व में ही पत्रावली के साथ संलग्न है। इससे भी स्पष्ट है कि अधिशाषी अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग किया है।

प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त आवासीय भवन में बिजली एवं पानी का कनेक्शन की एन.ओ.सी. भी नगर पालिका, टोडारायसिंह से दिनांक 01.10.1985 से ले रखी हैं। जिसका अपीलार्थी निरन्तर रूप से बिल भी जमा करा रहा है साथ ही अपीलार्थी के पिता द्वारा नगरपालिका टोडारायसिंह में गृह कर भी नियमित रूप से जमा करवाये हैं। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त आवासीय भवन सहित अपीलार्थी की अन्य पैतृक सम्पत्ति पर अपीलार्थी एवं उसके परिवार का पिछले लगभग 100 वर्षों से भी अधिक वर्षो से बतौर स्वामी एवं मालिक वास्तविक कब्जे में बिना किसी वाद, विवाद, अवरोध, बाधा के निर्विवाद, निर्वाद एवं निरन्तर रूप से चला आ रहा है जिसका वह शांतिपूर्वक उपभोग एवं उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी दिनेश जोशी ने राज्य सरकार की उक्त उदारीकरण की नीति एवं प्रकरण के त्वरित निराकरण के उक्त कार्यक्रम में दिनांक 07.02.2013 को अधिशाषी अधिकारी के समक्ष अपने उक्त आवासीय भवन जिसका पूर्ण विवरण शिकायत के पैरा संख्या 2 में अंकित है, का पट्टा राज्य सरकार की उक्त लोक[illegible] जारी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये। प्रा[illegible]जोशी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपने दो पडोसियों श्री ना[illegible], आयु 75 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 14, ब्रह्मअखाडा, टो[illegible], जिला टों[illegible] श्री भंवर लाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, जाति तेली, आयु 75 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 11, ब्रह्मअखाडा, टोडारायसिंह, जिला टोंक के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये [illegible] शपथकताओं ने यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:31:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

सत्यापित किया कि प्रार्थी दिनेश जोशी अपने उक्त आवासीय मकान में अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है तथा शपथकर्ता प्रार्थी दिनेश जोशी एवं अपने पूर्वजों को उक्त आवासीय मकान में लगभग 40–45 वर्षो से रहते हुये देख रहे हैं।

आदेश दिनांक 15.09.1983 एवं आदेश दिनांक 26.02.2010 के प्रावधानों के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि यदि किसी आवेदनकर्ता ने उक्त आदेशों में अंकित कोई भी एक दस्तावेज अपने कब्जे को साबित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है तो ऐसे आवेदनकर्ता को उक्त आदेशों के तहत पट्टा जारी कर दिया जायेगा। सर्वप्रथम तो प्रार्थी दिनेश जोशी ने हर दृष्टिकोण से उक्त आदेशों के तहत निर्धारित समयावधि अर्थात् 40 वर्षो से पूर्व का अपना वास्तविक कब्जा साबित किये जाने हेतु पर्याप्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। दूसरा प्रार्थी दिनेश जोशी ने दो ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु लगभग 75 वर्ष है के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये जिसमें उक्त दोनों व्यक्तियों ने स्पष्ट रूप से सशपथ यह बयान दिया कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने प्रार्थी दिनेश जोशी को उक्त आवासीय भवन पर पिछले 40–45 वर्षो से निवास करते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों शपथ पत्र उक्त आदेशों के तहत प्रार्थी दिनेश जोशी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये जो कि उक्त आदेशों की पर्याप्त अनुपालना है क्योंकि प्रार्थी दिनेश जोशी के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था कि वह अन्य कोई दस्तावेज अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष अपने कब्जे को साबित किये जाने के लिए प्रस्तुत करता क्योंकि उक्त आदेशों में दो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का शपथ पत्र भी मान्य होना अभिनिर्धारित/प्रावधानित किया गया है, लेकिन अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने गौर नहीं करके राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 की खुली अवहेलना की है जो कि किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है एवं राज्य सरकार की अवहेलना में पारित किया गया चुनौति आदेश दिनांक 04.01.2016 सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था केवल प्रार्थी दिनेश जोशी से अपनी पुरानी रंजीश निकालने के लिए आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा ने अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की। इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा स्वयं द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका को लगभग 14–15 वर्ष पूर्व एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि पुराना वार्ड नं. 4 (वर्तमान में 11) नानू के मकान से धर्मशाला तक जो सीसी रोड बनाया जा रहा था वह प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी की निजी सम्पत्ति है वहां सार्वजनिक रास्ता नहीं है यह रास्ता केवल सीताराम जोशी के मकान में जाने के लिए छोडा गया है इस कारण से यहां पर सीसी रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता। अधिशाषी अधिकारी, टोडारायसिंह ने डिक्री दिनांक 22.07.2005 पर भी अवलोकन नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी दिनेश जोशी के पिता श्री सीताराम जोशी ने आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नं. 24/2005 माननीय न्यायालय सिविल न्यायधीश टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें दोनों पक्षों के मध्य दिनांक 22.07.2005 को राजीनामा की डिक्री पारित हुई जो इस प्रकार है :–

" राजीनामानुसार वादी के पूर्वजों के समय से भूखण्ड नोहरा बाडा वाके ग्राम मौजा वार्ड नं. 4 कस्बा टोडारायसिंह में स्थित है उसको लेकर विवाद था। उस भूखण्ड नोहरा बाडा को प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद लिया था जिससे प्रतिवादी उक्त भूखण्ड नोहरे का मालिक है।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:31:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

सत्यापित प्रतिलिपि
टोंक

Scanned by CamScanner

अधिशाषी अधिकारी के समक्ष जो पत्रावली लम्बित थी जो उसमें दिनांक 18.12.2013 को नगर पालिका, टोडारायसिंह द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 20.12.2013 को उपस्थित होने का समय लिया गया। दिनांक 20.12.2013 को प्रार्थी दिनेश जोशी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया उसके बाद सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी। तत्समय पश्चात अधिशाषी अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया उसके पश्चात सन् 2015 में श्री चेतन कुमार जैन द्वारा अधिशाषी अधिकारी का पद ग्रहण करते हुए उक्त पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं गई तथा बिना सुनवाई नोटिस दिये पत्रावली का निस्तारण किया गया जबकि दिनांक 04.01.2016 से 31.01.2016 तक नगर पालिका टोडारायसिंह के निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी आपत्तिकर्ता दिनेश शर्मा से मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्रावली का निस्तारण कर दिया।

अप्रार्थी संख्या 3 जिसका प्रार्थी के आवासीय भवन से किसी प्रकार से कोई लेना देना, सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है के द्वारा झूठे, मिथ्या, एवं मनगढंत तथ्यों पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेज एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र के जवाब को नजर अंदाज कर बिना प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये एवं बिना संबंधित विधि एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अवलोकन एवं परीक्षण किये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निरस्त कर दिया, जबकि प्रार्थी अपने आवासीय भवन को नियमित करवाकर पट्टा जारी करवाये जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। अतः अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012–13 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वार्ड नं. 11 मे स्टेट ग्रान्ट के तहत पुस्तैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत किया गया है। पालिका द्वारा इस संबंध मे सार्वजनिक आपत्ति सूचना राज्य स्तरीय न्यूज पेपर मे प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित की जाने पर अन्दर मियाद एक आपत्ति श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी टोडारायसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने स्वंय का पुश्तैनी मकान होने के संबंध मे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नही किये है। अपीलांट द्वारा सन् 1961 की मतदाता सूची पेश की गई है,जिसमे सीताराम व उनके बाप–दादाओ का नाम अंकित नही है और जिनके नाम के आधार पर यह पट्टा बनवाना चाह रहे है इनका इनसे दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। अपीलांट तो ग्राम खरेडा का निवासी है। इस संबंध मे रेस्पो. संख्या 3 ने साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह ने पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात एंव सबूतो का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. संख्या 3 ने जवाबी बहस मे जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी [illegible] गलत रूप [illegible] पेश की है। नगर पालिका टोडारायसिंह के अधिशाषी अधिकारी द्वारा दि[illegible] 04[illegible]016 को सही निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी के स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत [illegible] पट्टे के आवेदन को खारिज किया है। क्योकि अपीलार्थी का [illegible] परिभाषा मे नही आता है। अपीलार्थी द्वारा पेश किये गये [illegible] चौड़ाई व सीमाये की जगह खाली छोड़ी गई है,जिसमे स्पष्ट है कि अपीलार्थी चाहे गये पट्टे की नाप–चौप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:31:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

वाकिफ नही है एंव आवेदन के चरण संख्या 2 मे पत्नि का नाम खाली छोडा गया है,जबकि फोटो मे पत्नि मौजूद है और उसकी फोटो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के पास है। अपीलार्थी ने भंवरी देवी के संबंध मे कोई सजरा भी पेश नही किया है,जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी भंवरी देवी का किस प्रकार से वारिस है।राज्य सरकार द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के अनुसार जो पट्टे जारी करने का अभियान चलाया था, वह पात्रता रखने वाले व पुश्तैनी सम्पत्तियो के संबंध मे चलाया था। अपीलार्थी ने रेस्पो. संख्या 1 व 2 को गुमराह कर मात्र पट्टा प्राप्त करने की नियत से उक्त आवेदन पेश किया है, जिसे नियमानुसार खारिज किया गया है। अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है। खरेडा की मतदाता सूची मे एंव जमाबंदियो मे अपीलार्थी के पिता एंव पूर्वजो का नाम दर्ज है,जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्थायी रूप से ग्राम खरेडा का निवासी है और भवंरी देवी के जीवनकाल मे कभी भी ग्राम टोडारायसिंह मे नही रहा है और ना ही भवंरी देवी की कोई सेवा की है। भवंरी देवी की मृत्यु दिनांक 03.04.1984 के बाद ही अपीलार्थी ने फर्जी वसीयत तैयार की है। भवंरी देवी ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत निष्पादित नही है। अपीलार्थी ने बाद मे षडयंत्र पूर्वक भवंरी देवी की उक्त सम्पत्ति को हडप करने की नियत से तैयार कर उक्त पट्टे का आवेदन पेश किया है,जिसे अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा नियमानुसार खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया। अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 04.01.2016 को आदेश पारित कर अपीलांट द्वारा स्टेट ग्राट एंक्ट के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा चाहने हेतु दिनांक 07.02.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 18.12.2013 को आपत्तिकर्ता को नोटिस जारी कर मूल दस्तावेजात के साथ वास्ते सुनवाई व जवाबदेय हेतु दिनांक 20.12.2013 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने बाबत सूचित करते हुये नोटिस की प्रति अपीलांट को भी प्रेषित कर अपने मूल दस्तावेजात के साथ उपस्थित होने बाबत सूचना दी गई है और अपने निर्णय मे उल्लेख किया है कि दोनो पक्षो को वास्ते सबूत व ज़वाबदेह हेतु तलब किये ,जाने पर दोनो पक्षो द्वारा अपना पक्ष मे सबूत पेश किये गये है,जो पत्रावली मे संलग्न है,परन्तु अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह की पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि पत्रावली के साथ नोटशीट/कार्यालय टिप्पणी अथवा आर्डरशीट संलग्न नही है। जिससे यह साबित नही होता है कि पक्षकारान किस दिनांक को कार्यालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और किस दिनांक को मूल दस्तावेजात प्रस्तुत किये हो। पक्षकारान को दिनांक 20.12.2013 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय हाजा मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया है और निर्णय दिनांक 04.01.2016 को पारित किया गया है।

दिनांक 20.12.2013 को दोनो पक्ष कार्यालय मे उपस्थित [illegible] नही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नही है। सुनवाई नोटिस [illegible].12.2013 जारी करने के 2 वर्ष से भी अधिक समय बाद निर्णय दिनांक [illegible] पारित किया गया है। उक्त पत्रावली 2 वर्ष से भी अधिक समय तक किन कारणों से किस स्टेज पर लम्बित रही पत्रावली से स्पष्ट नही है।यदि किन्ही कारणों से पत्रावली लम्बित भी रही तो निर्णय दिनांक 04.01.2016 पारित करने से पूर्व दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:31:02 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

जाना चाहिये था। पक्षकारो को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान करना न्याय का प्रथम सिद्वान्त है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त अनुसार किसी भी पक्ष को सुनवाई का असवर दिये बिना उसके विरूद्व आदेश पारित नही किया जा सकता है। अतः अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2016 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना इसी बिन्दू पर उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 04.10.2021 को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टोडारायसिंह के समक्ष समय 10.00 ए.एम.पर उपस्थित हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

15-9-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner